

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

सुमन शर्मा बनाम छोटू व अन्य

वाद पत्र संख्या /2022

08-02-2022 वादीया की ओर से एडवोकेट श्री हिम्मत सिंह राघव ने वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53, 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस प्रतिवादीगण को जारी हो। पत्रावली दिनांक 07-03-2022 को पेश हो।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

07/03/22

पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा
अपडोलेंस/कार्य का बहिष्कार करने पर
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/04/22 को पेश हो।

29/4/22

पत्रावली पेश हुई P. O. द्वारा
न्यायालय परिसर में
अवरोध को रोकने के लिए पूर्वानुसार पत्रावली
दिनांक 23/6/22 को पेश हो।

23/6/22

पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा
अपडोलेंस/कार्य का बहिष्कार करने पर
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/9/22 को पेश हो।

04/08/22

पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा
अपडोलेंस/कार्य का बहिष्कार करने पर
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/9/22 को पेश हो।

15/9/22

पत्रावली पेश हुई। P. O. द्वारा न्यायालय परिसर में
अवरोध को रोकने के लिए पूर्वानुसार पत्रावली
दिनांक 29/11/22 को पेश हो।

सुमान रावत बनाम धोटे वगैरे
उप नं-28/2022

२९/११/२२ पत्रावली जैसा हुई। वकील वादी उप
नहीं। वकील वादी क वादी को बाद-
बाद आवाज लगावाइ गई तथा
इन्तजार किया गया। लेकिन
कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली
का अदलौकन किया गया। पत्रावली
को अयम हाजरी क अयम पेस्वी
में खाति किया जाता है। पत्रावली
केवल शुमार होकर नभर लंकन
है। बाद इति होकर हाजिलगत
है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

2
3
4
5
6
7